(13)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल खण्ड पीठ रीवा संभाग जिला रीवा म0प्र0

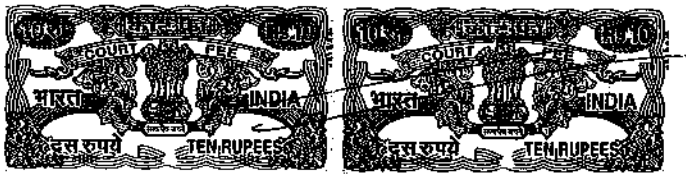

Rs. 20/-

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय तनय स्व. श्री मोहनलाल पाण्डेय निवासी, ग्राम उमरिहा

तहसील थाना गुढ़ जिला रीवा म0प्र0 --------निगरानी कर्ता

R 5200-II/15

बनाम

शासन म0प्र0 ------ गैर निगरानीकार

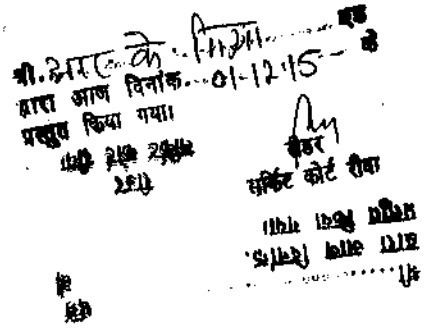

श्री आर.के. मिश्रा ने द्वारा आज दिनांक 01-12-15 को प्रस्तुत किया गया।

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 20/12/2014 एवं दिनांक 7/01/15 प्रकरण क्रमांक 168/अ12/2014-15 राजस्व निरीक्षक मण्डल दुआरी तहसील गुढ़ जिलारीवा म0प्र0.

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई.,

मान्यवर,

निगरानी कर्ता की ओर से निगरानी के आधार निम्न है:-

1- यह कि अधीनस्थ अदालत राजस्व निरीक्षक दुआरी का निर्णय आदेश दिनांक-7/1/15 विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत है, तथा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विधि विपरीत टिप्पणी की गई है जो श्रीमान् के काबिलेगौर है।

2- यह कि अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक महोदय दुआरी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 7/1/15 मे सीमांकन दिनांक 27/11/14 का प्रतिवेदन दिनांक 20/12/14 आराजी नं0 205 रकबा 0.202 है. को व्यवस्थापित भूमि को मौके पर श्मशान तथा पहुंच भूमि की असत्य टिप्पणी की गई है जबकि उक्त भूमि मे आवेदक/निगरानी कर्ता द्वारा काश्त की जाती है अतः सीमांकन की कार्यवाही से परे जाकर औचित्यहीन टिप्पणी का पारित आदेश निरस्त कर विलोपित योग्य है। क्रमशः 2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 500-दी/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.3.16	मेरे प्रकरण में आवेदक के विद्वान आधिवक्ता के तर्क सुने तथा नस्ती का परिशीलन किया। RI ने आक्षेपित आदेश दि 7.1.15 से सीमांकन की पुष्टि करते हुए विवादित भूमि ख.नं. 175, 204, 205 ग्राम रतेह तट-गुढ को श्मशान एवं पड़त लेना लिख दिया है, तबकि खसरा फार्म P-II वर्ष 13-14 में यह भूमि आवेदक रविन्द्र प्रसाद के नाम दर्ज है और उसके सीमांकन का आवेदन भी आवेदक ने ही दिया था। ऐसे मे RI के आदेश में उक्त भूमि का श्मशान एवं पड़त लिखा जाना, बगैर अभिलेखीय आधार के किया गया कृत्य प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है।	

[कृ. प. उ.

R-5200-II/15 शेवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अतः RI को आदेशित किया जाता है कि वे राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टियों के प्रकाश में ही नियमानुसार अपना आदेश पारित करें, अन्यथा नहीं।	
	साथ ही आक्षेपित आदेश दि 7.1.15 उपरोक्त निर्देश के साथ निरस्त किया जाता है।	
	आदेश पारित।	
	पक्षकार एवं RI मण्डल दुआरी, तह. गुढ़, जि. रीवा सूचित हों।	
	प्रकरण समाप्त।	
	दा. द. हो।	
	(सही)	
	(सHG:SU)	